नेशनल लोक अदालत स्थायी खण्डपीठ क्रमांक 22 दिनांक 09.03.2024

आवेदिका सहित अधिवक्ता श्री मनीष दुबे उपस्थित।

अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री बरकत अली खान उपस्थित।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी प्रक्रम में आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मनीष दुबे उपस्थित होकर एक आवेदन अन्तर्गत प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक के मध्य बिना भय, दबाव के आपसी राजामाना हो गया है और आवेदिका, अनावेदक के विरूद्ध उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इन्हीं आधारों पर आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने

पढ़कर पश्चात् की गई।

Date of order or proceeding	Order or proceding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
	प्रकरण को राजीनामा के आधार पर समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को विचार में लिया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि आवेदिका द्वारा अनावेदक के विरूद्ध आवेदन अंतर्गत धारा–125 दं.प्र.सं. दिनांक 13.10.2022 को प्रस्तुत किया था। प्रकरण में आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदिका का अनावेदक से राजीनामा हो गया है और वह अनावेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है और प्रकरण को आपसी राजीनामा के आधार पर समाप्त करना चाहती है। इस प्रकार आवेदन पत्र अस्वीकार करने का अन्य कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अतः आवेदिका की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन आवेदन स्वीकार किया जाता है। अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं। उभयपक्ष अपना–अपना आवेदन व्यय स्वयं वहन करेंगे। प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में लेखबद्ध कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाए। (श्री सत्येन्द्र तिवारी) अधिवक्ता / सदस्य 09.03.24 (पीठासीन अधिकारी) लोक अदा.ख.पी.क्रमांक 22 बरही, जिला कटनी (म.प्र)	B.A.Khan